राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.1(01)न्याय/2024 जयपुर, दिनांकः 04 DEC 2024

::अधिसूचना::

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, के परामर्श से निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है जिनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 एवं क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्रम संख्या	विशेष न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार राजस्व जिला
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईटस एक्ट, 2005 संख्या-2, चुरू	चुरू	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा

साथ ही वर्तमान में कार्यरत विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईटस एक्ट, 2005, चुरू का नाम परिवर्तित करते हुए विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईटस एक्ट, 2005 संख्या-1, चुरू निर्धारित किया जाता है एवं उक्त न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

04.12.24

(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, चुरू।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।

13. रक्षित पत्रावली।

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव